

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 345 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 जून 2022—आषाढ़ 6, शक 1944

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 27 जून 2022

क्र. एफ 1-4-2020-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में, विद्यमान शीर्षक पैंतीस के अन्तर्गत, भाग (इ) “संचालनालय तथा विभाग के अधीन कार्यालय” में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“1. संचालनालय, पशुपालन एवं डेयरी”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रंजना पाटने, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जून 2022

क्र. एफ 1-4-2020-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-4-2020-एक (1) दिनांक 27 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रंजना पाटने, उपसचिव.

Bhopal, the 27<sup>th</sup> June 2022

No. F-1-4-2020-One-(1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Business (Allocation) Rules, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, In the Schedule, under the existing heading “XXXV, in Part (C) “Directorate and offices under the Department”, for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be substituted, namely:—

“1. Directorate of Animal Husbandry and Dairying”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RANJANA PATNE, Dy. Secy.